(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : (क) जी हां। फिरोजाबाद में शीशा उद्योग, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले उद्योग तथा मुरादाबाद में पीतल उद्योग में लगे बालकों के कल्याण के लिए परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित क्रियाकलापों को शुरू किये जाने का प्रस्ताव है :--

(i) बाल श्रम प्रतिषिद्ध करने वाले कानूनों के प्रवर्तन को तीव्र करना।

(ii) आय/रोजगार सृजित करने वाली योजनाओं के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के परिवारों को लाना।

(iii) बाल कर्मकारों के लिए विशेष स्कूल स्थापित करना जहां शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक आहार, स्वास्थ्य देख-रेख आदि की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकता होने पर, प्रतिषिद्ध नियोजनों से बाहर लाए गए बालकों को छात्रवृत्तियां दी जाती है ताकि संबंधित परिवारों की आय में हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके।

(iv) सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य साधनों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके तथा बाल श्रमिकों को अवांछनीय पहलुओं के बारे में विश्वास दिलाया जा सके।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की कार्रवाई योजना पर आधारित परियोजना में पता लगाए गए क्षेत्रों में तथा जहां बाल श्रमिक अधिक हैं, प्रारम्भ में सरकार का प्रस्ताव परियोजनाएं शुरू करने का है।

उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों/उद्योगों जिनमें आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, महू तथा जौनपुर शामिल के लिए परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार से विशेष, प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

Effect of pepsi-Co in soft drink industry

2661. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 25 per cent sales in the domestic tariff area would hit the local soft drink;

(b) whether the Pepsi Co's soft drink entry in India will not affect the Indian soft drink industry adversely;

(c) if so, whether Government propose to reconsider the approval for Pepsi Co's soft drink part of the project in India;

(d) if not, the reasons thereof; and

(e) what are the steps taken by Government to safeguard and promote the Indian soft drink industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No soft drink industry has so far been permitted under the 100 per cent export oriented scheme and as such 25 per cent sales in the domestic tariff area at present does not arise.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) and (e) One of the conditions of the Letter of Intent granted to Punjab Agro Industries Corporation Ltd is that the turn over from soft drink concentrate manufactured shall in no year exceed 25 per cent of the total turn-over of that company for that year. This has been done with a view to safeguarding and promoting the Indian soft drink industry.